प्रपत्र–2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक...3398... दिनांक...27/12/14...

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

...सीता रेसिडेन्सियल पब्लिक स्कूल, चौसा, मधेपुरा।...

विषयः बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक ...26/10/2014... और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय ...सीता रेसिडेन्सियल पब्लिक स्कूल, चौसा, मधेपुरा... (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा ...01... से ...08... तक संचालन हेतु तीन वर्षो दिसम्बर 2014 से ~~मार्च 2017~~ की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तो के अनुपालन के अधीन होगीः–

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों की नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जयेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएगें:–
   i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।
   ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शरीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।
   iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
   iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम–22 के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
   v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चो का समावेशन किया जायेगा।
   vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा–23 की उपधारा–01 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते है, वे 5 वर्षो के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
   vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
   viii. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 के प्रावधनों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 मे उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।
    विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलबध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः
    विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः– 10,000 वर्ग फीट
    कुल निर्मित क्षेत्रः–3800 वर्ग फीट
    खेल के मैदानों का क्षेत्रः–6200 वर्ग फीट
    वर्गकक्षों की कुल संख्याः–14
    प्रधानाध्यापक –सह– कार्यालय –सह– भंडार कक्षाः–01
    बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शैचालयः– बालक 02 बालिका 01
    पेयजल की सुविधा :– चापाकल 03
    मध्याह्न भोजन के लिए, रसोई घर :–हाँ है
    बाधा रहित पहुँचः–हाँ
    शिक्षा अधिगम सामग्री/खेल–कूद उपकरण/पुस्तकालयः –उपलब्ध
11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860, (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एंव उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड सं0–PSR...73 2014-15 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय–समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तो के लगातार रूप से करने की सूनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबधित कठिनाइयो को दूर करने हेतू समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नंक III के रूप में संलग्न अन्य शर्ते।

विश्वासभाजन

21/12/14

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
–सह– सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

एक प्रति पावती
जयकुमार यादव
12/2/15

प्रपत्र–2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक 24.00 दिनांक 27/12/14

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक
डी०डी० मेमोरियल पब्लिक स्कूल, तुरकाही, मधेपुरा।

विषयः बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 23/08/2014 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय डी०डी० मेमोरियल पब्लिक स्कूल, तुरकाही, मधेपुरा। (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा 01 से 08 तक संचालन हेतु तीन वर्षो दिसम्बर 2014 से ~~मार्च 2017~~ की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

O/C

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तो के अनुपालन के अधीन होगीः–

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों की नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जयेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएगें:–
   i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।
   ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शरीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।
   iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
   iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम–22 के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
   v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चो का समावेशन किया जायेगा।
   vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा–23 की उपधारा–01 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते है, वे 5 वर्षो के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
   vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
   viii. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 के प्रावधनों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 मे उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।
    विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलबध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः
    विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः– 5100 वर्गफीट
    कुल निर्मित क्षेत्रः– 1600 वर्गफीट
    खेल के मैदानों का क्षेत्रः– 3500 वर्गफीट
    वर्गकक्षों की कुल संख्याः– 04
    प्रधानाध्यापक –सह– कार्यालय –सह– भंडार कक्षाः– 01
    बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शैचालयः– बालक 01 बालिका 01
    पेयजल की सुविधा :– चापाकल 01
    मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर :– नहीं है।
    बाधा रहित पहुँचः– हाँ
    शिक्षा अधिगम सामग्री/खेल–कूद उपकरण/पुस्तकालयः – उपलब्ध
11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860, (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एंव उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड सं0–PSR.....75..... 2014-15 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय–समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तो के लगातार रूप से करने की सूनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबधित कठिनाइयो को दूर करने हेतू समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नंक III के रूप में संलग्न अन्य शर्ते।

17/12/14

विश्वासभाजन

17/12/14

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
–सह– सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

Received one copy
29.12.2014.

प्रपत्र–2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक 3390 दिनांक 27/12/14

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक
नेशनल चिल्ड्रेन अकेडमी, मधैली बाजार, शंकरपुर, मधेपुरा।

विषयः बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 30/09/2014 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय नेशनल चिल्ड्रेन अकेडमी, मधैली बाजार, शंकरपुर, मधेपुरा (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा 01 से 08 तक संचालन हेतु तीन वर्षो दिसम्बर 2014 से ~~मार्च 2017~~ की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तो के अनुपालन के अधीन होगीः–

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों की नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जयेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएगें:–
   i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।
   ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शरीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।
   iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
   iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम–22 के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
   v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चो का समावेशन किया जायेगा।
   vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा–23 की उपधारा–01 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते है, वे 5 वर्षो के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
   vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
   viii. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 के प्रावधनों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 मे उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।
    विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलबध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः
    विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः– 1000 वर्गफीट
    कुल निर्मित क्षेत्रः– 2000 वर्गफीट
    खेल के मैदानों का क्षेत्रः– 5000 वर्गफीट
    वर्गकक्षों की कुल संख्याः– 08
    प्रधानाध्यापक –सह– कार्यालय –सह– भंडार कक्षाः– हाँ
    बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शैचालयः– बालक 01 बालिका 01
    पेयजल की सुविधा :– चापाकल 03
    मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर :– नहीं है।
    बाधा रहित पहुँचः– हाँ
    शिक्षा अधिगम सामग्री/खेल–कूद उपकरण/पुस्तकालयः – उपलब्ध
11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860, (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एंव उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड सं0–PSR.....66/2014-15 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय–समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तो के लगातार रूप से करने की सूनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबधित कठिनाइयो कों दूर करने हेतू समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नंक III के रूप में संलग्न अन्य शर्ते।

विश्वासभाजन

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
–सह– सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

प्रपत्र–2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक...3401... दिनांक...27/12/2014...

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक
भारती पब्लिक स्कूल, रामदरिया, मधेपुरा।

विषयः बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 27/12/2014 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय भारती पब्लिक स्कूल, रामदरिया, मधेपुरा (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा ...01... से ...08... तक संचालन हेतु तीन वर्षो दिसम्बर 2014 से ~~मार्च 2017~~ की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तो के अनुपालन के अधीन होगीः–

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों की नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जयेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएगें:–
   i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।
   ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शरीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।
   iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
   iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम–22 के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
   v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चो का समावेशन किया जायेगा।
   vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा–23 की उपधारा–01 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते है, वे 5 वर्षो के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
   vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
   viii. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 के प्रावधनों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 मे उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।
    विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलबध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः
    विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः– 15,200 वर्गफीट
    कुल निर्मित क्षेत्रः– 4560 वर्ग फीट
    खेल के मैदानों का क्षेत्रः– 10,600 वर्ग फीट
    वर्गकक्षों की कुल संख्याः– 07
    प्रधानाध्यापक –सह– कार्यालय –सह– भंडार कक्षाः– 01
    बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शैचालयः– बालक 03 बालिका 02
    पेयजल की सुविधा :– चापाकल 04
    मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर :– है है 1
    बाधा रहित पहुँचः– है
    शिक्षा अधिगम सामग्री/खेल–कूद उपकरण/पुस्तकालयः – उपलब्ध
11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860, (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एंव उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड सं0–PSR.76 2014-15 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय–समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तो के लगातार रूप से करने की सूनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबधित कठिनाइयो को दूर करने हेतू समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नंक III के रूप में संलग्न अन्य शर्ते।

विश्वासभाजन
24/12/14
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
–सह– सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

एकल प्रति पाया
24/12/14

प्रपत्र–2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक...3402... दिनांक...27/12/2014...

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

...आइडियल पब्लिक स्कूल, सुखासन मनहरा, मधेपुरा।...

विषयः बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक...24/10/2014... और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय ...आइडियल पब्लिक स्कूल, सुखासन मनहरा, मधेपुरा... (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा ...01... से ...08... तक संचालन हेतु तीन वर्षो दिसम्बर 2014 से ~~मार्च 2017~~ की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

O/C

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तो के अनुपालन के अधीन होगीः–

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों की नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसी पूर्णता तक प्रदान करेंगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जयेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएगें:–
   i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।
   ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शरीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।
   iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
   iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम–22 के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
   v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चो का समावेशन किया जायेगा।
   vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा–23 की उपधारा–01 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते है, वे 5 वर्षो के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
   vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
   viii. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 के प्रावधनों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 मे उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।
    विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलबध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः
    विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः– 13,300 वर्ग फीट
    कुल निर्मित क्षेत्रः–.....2160 वर्ग फीट
    खेल के मैदानों का क्षेत्रः–.....11000 वर्ग फीट
    वर्गकक्षों की कुल संख्याः–.....08.....
    प्रधानाध्यापक –सह– कार्यालय –सह– भंडार कक्षाः–.....01.....
    बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शैचालयः– बालक .....01.....बालिका.....01.....
    पेयजल की सुविधा :– चापाकल .....02.....
    मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर :–.....नहीं.....
    बाधा रहित पहुँचः–.....हाँ.....
    शिक्षा अधिगम सामग्री/खेल–कूद उपकरण/पुस्तकालयः –.....उपलब्ध
11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860, (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एंव उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड सं0–PSR-९१७-२०१४-१५ है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय–समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तो के लगातार रूप से करने की सूनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबधित कठिनाइयो को दूर करने हेतू समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नंक III के रूप में संलग्न अन्य शर्ते।

29.12.2014

विश्वासभाजन

29/12/14

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
–सह– सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

29.12.2014

प्रपत्र–2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक 3396 दिनांक 27/12/14

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक
वेलफेयर पब्लिक स्कूल, उदा किशुनगंज, मधेपुरा।

विषयः बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 29/11/2011 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय वेलफेयर पब्लिक स्कूल, उदा किशुनगंज, मधेपुरा (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा 01 से 08 तक संचालन हेतु तीन वर्षो दिसम्बर 2014 से मार्च 2017 की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तो के अनुपालन के अधीन होगीः–

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों की नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जयेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएगें:–
   i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।
   ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शरीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।
   iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
   iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम–22 के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
   v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चो का समावेशन किया जायेगा।
   vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा–23 की उपधारा–01 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते है, वे 5 वर्षो के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
   vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
   viii. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 के प्रावधनों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 मे उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।
    विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलबध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः
    विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः– 22,500 वर्ग फीट
    कुल निर्मित क्षेत्रः–2800 वर्ग फीट
    खेल के मैदानों का क्षेत्रः–हाँ है।
    वर्गकक्षों की कुल संख्याः–10
    प्रधानाध्यापक –सह– कार्यालय –सह– भंडार कक्षाः–01
    बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शैचालयः– बालक 02 बालिका 02
    पेयजल की सुविधा :– चापाकल उपलब्ध है।
    मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर :–नहीं
    बाधा रहित पहुँचः–है।
    शिक्षा अधिगम सामग्री/खेल–कूद उपकरण/पुस्तकालयः –उपलब्ध है।
11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860, (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एंव उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड सं0–PSR.....72..... 2014-15 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय–समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तो के लगातार रूप से करने की सूनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबधित कठिनाइयो कों दूर करने हेतू समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नंक III के रूप में संलग्न अन्य शर्ते।

1/12/14

विश्वासभाजन

21/12/14

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
–सह– सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

Received a copy
30/12/14

प्रपत्र–2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक...3391... दिनांक...27/12/14

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

नवप्रभात पब्लिक स्कूल, बेलापाड़ा, मधेपुरा।

विषयः बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक...29/11/2011...और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय ...नव प्रभात पब्लिक स्कूल, बेलापाड़ा, मधेपुरा... (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा ...01... से ...08... तक संचालन हेतु तीन वर्षो...दिसम्बर 2014... से ~~मार्च 2017~~ की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तो के अनुपालन के अधीन होगीः–

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों की नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जयेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएगें:–
   i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।
   ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शरीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।
   iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
   iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम–22 के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
   v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चो का समावेशन किया जायेगा।
   vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा–23 की उपधारा–01 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते है, वे 5 वर्षो के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
   vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
   viii. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 के प्रावधनों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 मे उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।
    विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलबध सुविधाओं का विवरण निम्नवत:
    विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल:– 5615 वर्ग फीट
    कुल निर्मित क्षेत्र:– 2600 वर्ग फीट
    खेल के मैदानों का क्षेत्र:– 1950 वर्ग फीट
    वर्गकक्षों की कुल संख्या:– 11
    प्रधानाध्यापक –सह– कार्यालय –सह– भंडार कक्षा:– 01
    बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शैचालय:– बालक 01 बालिका 01
    पेयजल की सुविधा :– चापाकल 02
    मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर :– नहीं है
    बाधा रहित पहुँच:– है
    शिक्षा अधिगम सामग्री/खेल–कूद उपकरण/पुस्तकालय: – उपलब्ध
11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860, (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एंव उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड सं0–PSR.....67 2014-15..... है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय–समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तो के लगातार रूप से करने की सूनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबधित कठिनाइयो कों दूर करने हेतू समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नंक III के रूप में संलग्न अन्य शर्ते।

30/12/14

विश्वासभाजन

30/12/2014

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
–सह– सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

उमेश कुमार झा
30/12/14

प्रपत्र–2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक....3389 दिनांक....27/12/14

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

यू॰ एस॰ ए॰ इन्टरनेशनल स्कूल, मधेपुरा।

विषयः बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक..... और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय यू॰ एस॰ ए॰ इन्टरनेशनल स्कूल, मधेपुरा (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा एक से आठ तक संचालन हेतु तीन वर्षो दिसम्बर 2014 से ~~मार्च 2017~~ की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तो के अनुपालन के अधीन होगीः–

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों की नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जयेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएगें:–
   i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।
   ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शरीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।
   iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
   iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम–22 के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
   v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चो का समावेशन किया जायेगा।
   vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा–23 की उपधारा–01 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते है, वे 5 वर्षो के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
   vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
   viii. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 के प्रावधनों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 मे उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

    विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलबध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः

    विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः– 5625 वर्ग फीट

    कुल निर्मित क्षेत्रः– 2482 वर्ग फीट

    खेल के मैदानों का क्षेत्रः– 2500 वर्ग फीट

    वर्गकक्षों की कुल संख्याः– 10

    प्रधानाध्यापक –सह– कार्यालय –सह– भंडार कक्षाः– 01

    बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शैचालयः– बालक 02 बालिका 01

    पेयजल की सुविधा :– चापाकल 01

    मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर :– नहीं है।

    बाधा रहित पहुँचः– हाँ

    शिक्षा अधिगम सामग्री/खेल–कूद उपकरण/पुस्तकालयः – उपलब्ध
11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860, (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एंव उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड सं0–PSR.....65 2014-15 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय–समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तो के लगातार रूप से करने की सूनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबधित कठिनाइयो को दूर करने हेतू समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नंक III के रूप में संलग्न अन्य शर्ते।

17/12/14

विश्वासभाजन

30/12/14

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
–सह– सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

Received one copy
Ashish Raj
30/12/14

प्रपत्र–2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक....3397 दिनांक....27/12/14

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक
रामहरिया पब्लिक स्कुल , रामहरिया , मधेपुरा ।

विषयः बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 15/10/2014 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय रामहरिया पब्लिक स्कुल , रामहरिया , मधेपुरा
(विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा 01 से 08 तक संचालन हेतु तीन वर्षो दिसम्बर 2014 से ~~मई 2017~~ की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तो के अनुपालन के अधीन होगीः–

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों की नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जयेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएगें:–
   i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।
   ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शरीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।
   iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
   iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम–22 के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
   v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चो का समावेशन किया जायेगा।
   vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा–23 की उपधारा–01 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते है, वे 5 वर्षो के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
   vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
   viii. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 के प्रावधनों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 मे उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।
    विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलबध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः
    विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः– 17,600 वर्ग फीट
    कुल निर्मित क्षेत्रः– 4000 वर्ग फीट
    खेल के मैदानों का क्षेत्रः– 13,600 वर्ग फीट
    वर्गकक्षों की कुल संख्याः– 15 कमरा
    प्रधानाध्यापक –सह– कार्यालय –सह– भंडार कक्षाः– 01
    बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शैचालयः– बालक 03 बालिका 02
    पेयजल की सुविधा :– चापाकल 04
    मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर :– हाँ है
    बाधा रहित पहुँचः– हाँ
    शिक्षा अधिगम सामग्री/खेल–कूद उपकरण/पुस्तकालयः – उपलब्ध है
11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860, (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एंव उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड सं0–PSR 82 2014-15 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय–समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तो के लगातार रूप से करने की सूनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबधित कठिनाइयो को दूर करने हेतू समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नंक III के रूप में संलग्न अन्य शर्ते।

1/12/14

विश्वासभाजन

1/12/14

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
–सह– सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

एक प्रति पाया।

~~महेश कुमार मंडल~~

Mahesh 30/12/14

~~28/12/14~~

प्रपत्र–2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक...3399... दिनांक...27/12/14...

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक

न्यु रोज बड़ पब्लिक स्कूल, वार्ड न०-17, लक्ष्मीपुर, मधेपुरा।

विषयः बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 30/11/2014 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय न्यु रोज बड़ पब्लिक स्कूल, वार्ड न०-17, लक्ष्मीपुर, मधेपुरा (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा ...01... से ...08... तक संचालन हेतु तीन वर्षो दिसम्बर 2014 से ~~मार्च 2017~~ की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तो के अनुपालन के अधीन होगीः–

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों की नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जयेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएगें:–
   i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।
   ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शरीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।
   iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
   iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम–22 के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
   v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चो का समावेशन किया जायेगा।
   vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा–23 की उपधारा–01 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते है, वे 5 वर्षो के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
   vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
   viii. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 के प्रावधनों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 मे उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।
    विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलबध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः
    विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः–2000 वर्ग फीट
    कुल निर्मित क्षेत्रः–2000 वर्ग फीट
    खेल के मैदानों का क्षेत्रः–2000 वर्ग फीट
    वर्गकक्षों की कुल संख्याः–07
    प्रधानाध्यापक –सह– कार्यालय –सह– भंडार कक्षाः–हाँ
    बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शैचालयः– बालक 01 बालिका 01
    पेयजल की सुविधा :– चापाकल 01
    मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर :–हाँ है
    बाधा रहित पहुँचः–हा
    शिक्षा अधिगम सामग्री/खेल–कूद उपकरण/पुस्तकालयः –उपलब्ध
11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860, (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एंव उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड सं0–PSR..74..... है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय। 2014-15
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय–समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तो के लगातार रूप से करने की सूनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबधित कठिनाइयो को दूर करने हेतू समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नंक III के रूप में संलग्न अन्य शर्ते।

विश्वासभाजन

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
–सह– सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

141

प्रपत्र–2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक...369... दिनांक...25/06/12...

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक, तुलसी पब्लिक स्कूल, मधेपुरा

विषय :– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक...30.9.11...और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय ...तुलसी पब्लिक स्कूल, पई न0-15 मधेपुरा...

(विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा ...01... से ...08... तक संचालन हेतु तीन वर्षो ...अप्रील 2012 ... से ...मार्च 2015... की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगीः

01e

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाऍगें :–

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।
विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः-
कुल निर्मित क्षेत्रः-
खेल के मैदानों का क्षेत्रः- 1½ बीघा
वर्गकक्षों की कुल संख्याः- 06
प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- 01
बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-02, बालिका-01
पेयजल की सुविधाः- चापाकल- 03
मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- .....
बाधा रहित पहुँचः-
शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- हाँ

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या–PSR– 03 2012-13 ..... है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय–समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

विश्वासभाजन

25/6/12 25-6-12

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

–सह– सचिव

प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान

मधेपुरा।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा

Copy for info and
Shyamal Kumar
Principal
Govt. Polytechnic Institute, Madhepura
25/6/12

139

प्रपत्र–2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक....368.... दिनांक....25/06/12....

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक, न्यू माडर्न पाब्लिक स्कूल, बिहारीगंज

विषय :– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक....**30.09.2011**...और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय **न्यू मॉडर्न पब्लिक स्कूल, बिहारीगंज, मधेपुरा (बिहार)** कक्षा 01 से 08 तक संचालन हेतु तीन वर्षो अप्रील 2012 से मार्च 2015 तक की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगीः

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :–

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः-

कुल निर्मित क्षेत्रः-

खेल के मैदानों का क्षेत्रः- 1000 वर्ग फीट

वर्गकक्षों की कुल संख्याः- 16

प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- 01

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-05, बालिका-02

पेयजल की सुविधाः- चापाकल- 03

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- 01

बाधा रहित पहुँचः- हॉ

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- हॉ

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या-**PSR-01/2012-13** है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

विश्वासभाजन

25-9-12

Hulas
25/9/12

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा

-सह- सचिव,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

Received one copy

प्रपत्र–2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक...3395... दिनांक...27/12/14...

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

कृष्णा एकेडमी, मधेपुरा।

विषयः बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 17/06/2014 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय कृष्णा एकेडमी, मधेपुरा (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा ...01... से ...08... तक संचालन हेतु तीन वर्षो दिसम्बर 2014 से मार्च 2017 की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तो के अनुपालन के अधीन होगीः–

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों की नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जयेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएगें:–
   i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।
   ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शरीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।
   iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
   iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम–22 के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
   v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चो का समावेशन किया जायेगा।
   vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा–23 की उपधारा–01 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते है, वे 5 वर्षो के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
   vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
   viii. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 के प्रावधनों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 मे उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

    विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलबध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः

    विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः– 35,150 वर्ग फीट

    कुल निर्मित क्षेत्रः–.....5859.....वर्ग फीट

    खेल के मैदानों का क्षेत्रः–.....12000.....वर्ग फीट

    वर्गकक्षों की कुल संख्याः–.....13.....कमरा

    प्रधानाध्यापक –सह– कार्यालय –सह– भंडार कक्षाः–.....02.....कमरा

    बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शैचालयः– बालक 04.....बालिका.....02.....

    पेयजल की सुविधा :– चापाकल .....03.....

    मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर :–.....नहीं है।.....

    बाधा रहित पहुँचः–.....हाँ.....

    शिक्षा अधिगम सामग्री/खेल–कूद उपकरण/पुस्तकालयः –.....उपलब्ध.....
11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860, (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एंव उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड सं0–PSR...71/2014-15... है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय–समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तो के लगातार रूप से करने की सूनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबधित कठिनाइयो को दूर करने हेतू समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नंक III के रूप में संलग्न अन्य शर्ते।

17/12/14

विश्वासभाजन

5/12/14

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
–सह– सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

एक प्रति प्राप्त किया

5/1/15

प्रपत्र–2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक.....3405

दिनांक..27/12/2014

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

सरस्वती ज्ञान मन्दिर, अर्दही बाजार, मधेपुरा।

विषयः बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 30/11/2011 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय सरस्वती ज्ञान मन्दिर, अर्दही बाजार, मधेपुरा (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा ...01... से ...08... तक संचालन हेतु तीन वर्षो दिसम्बर 2014 से मार्च 2017 की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तो के अनुपालन के अधीन होगीः–

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों की नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जयेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएगें:–
   i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।
   ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।
   iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
   iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम–22 के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
   v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चो का समावेशन किया जायेगा।
   vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा–23 की उपधारा–01 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते है, वे 5 वर्षो के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
   vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
   viii. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 के प्रावधनों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 मे उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।
    विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलबध सुविधाओं का विवरण निम्नवत:
    विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल:– 4160 वर्ग फीट
    कुल निर्मित क्षेत्र:– 2072 वर्ग फीट
    खेल के मैदानों का क्षेत्र:– 6300 वर्ग फीट
    वर्गकक्षों की कुल संख्या:– 10
    प्रधानाध्यापक –सह– कार्यालय –सह– भंडार कक्षा:– 01
    बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शैचालय:– बालक 01 बालिका 01
    पेयजल की सुविधा :– चापाकल 03
    मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर :– हाँ है 1
    बाधा रहित पहुँच:– है
    शिक्षा अधिगम सामग्री/खेल–कूद उपकरण/पुस्तकालय: – उपलब्ध
11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860, (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एंव उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड सं0–PSR 80 2014-15 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय–समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तो के लगातार रूप से करने की सूनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबधित कठिनाइयो को दूर करने हेतू समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नंक III के रूप में संलग्न अन्य शर्ते।

विश्वासभाजन

17/12/14

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
–सह– सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

एक प्रति प्राप्त पाया।

Sunil kumar
5-1-15

प्रपत्र–2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक....3404 दिनांक....27/12/14

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक
आदर्श आवासीय कॉन्वेन्ट, सिंहेश्वर, मधेपुरा।

विषयः बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 29/11/2011 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय आदर्श आवासीय कॉन्वेन्ट, सिंहेश्वर, मधेपुरा (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा 01 से 08 तक संचालन हेतु तीन वर्षो दिसम्बर 2014 से ~~मार्च 2017~~ की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तो के अनुपालन के अधीन होगीः–

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों की नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जयेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएगें:–
   i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।
   ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शरीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।
   iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
   iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम–22 के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
   v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चो का समावेशन किया जायेगा।
   vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा–23 की उपधारा–01 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते है, वे 5 वर्षो के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
   vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
   viii. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 के प्रावधनों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 मे उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलबध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः– 1900 वर्ग फीट

कुल निर्मित क्षेत्रः– 800 वर्ग फीट

खेल के मैदानों का क्षेत्रः– 1000 वर्ग फीट

वर्गकक्षों की कुल संख्याः– 05 कमरा

प्रधानाध्यापक –सह– कार्यालय –सह– भंडार कक्षाः– 01

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शैचालयः– बालक 01 बालिका 01

पेयजल की सुविधा :– चापाकल 01

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर :– नहीं है।

बाधा रहित पहुँचः– है

शिक्षा अधिगम सामग्री/खेल–कूद उपकरण/पुस्तकालयः – उपलब्ध

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860, (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एंव उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड सं0–PSR-79-2014-15 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय–समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तो के लगातार रूप से करने की सूनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबधित कठिनाइयो कों दूर करने हेतू समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नंक III के रूप में संलग्न अन्य शर्ते।

विश्वासभाजन

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
–सह– सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

(32)

प्रपत्र–2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक...716... दिनांक...31/03/14

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक, शालोम मिशन विद्यालय, मधेपुरा

विषय :– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 12.11.11 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय शालोम मिशन विद्यालय, वार्ड नं0–22, मधेपुरा (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा ..01.. से ..08.. तक संचालन हेतु तीन वर्षो अप्रील 2014 ..... से मार्च 2015 की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगीः

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :–

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः-

कुल निर्मित क्षेत्रः-

खेल के मैदानों का क्षेत्रः- 100ft x 50ft

वर्गकक्षों की कुल संख्याः- 10

प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- .....

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-....., बालिका-.....

पेयजल की सुविधाः- चापाकल- 04

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- .....

बाधा रहित पहुँचः-

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- उपलब्ध है

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या-PSR- 26 2013-14 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

विश्वासभाजन

Hulab 3/6/14

19/3/13/14

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
-सह- सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा

प्रपत्र–2

(30)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक..... दिनांक.....

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक, सरस्वती विद्या मंदिर, बिहारीगंज

विषय :– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 30.07.11 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर, बिहारीगंज (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा 01 से 05 तक संचालन हेतु तीन वर्षो 01.04.2014 से 31 March-2015 की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगीः

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :–

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः-

कुल निर्मित क्षेत्रः-

खेल के मैदानों का क्षेत्रः- 6070 m2

वर्गकक्षों की कुल संख्याः- 14

प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- .....

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-12, बालिका-05

पेयजल की सुविधाः- चापाकल- 05

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- .....

बाधा रहित पहुँचः-

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- है

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या–PSR– 48/2014-15 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय–समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

विश्वासभाजन

16/7/14

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
–सह– सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा

प्रपत्र–2

(29)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक 1615 दिनांक 21/07/2014

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक, स्वामी विवेकानन्द विद्यापीठ, मधेपुरा

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 18.03.2014 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय स्वामी विवेकानन्द विद्यापीठ, वार्ड नं0-16, मधेपुरा

(विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा 01 से 08 तक संचालन हेतु तीन वर्षो July-2014 से March-2015 की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगीः

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :-

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः- 8000 Sq. ft.

कुल निर्मित क्षेत्रः- 6750 Sq. ft.

खेल के मैदानों का क्षेत्रः- 9800 Sq. ft.

वर्गकक्षों की कुल संख्याः- 10

प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- 01

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-02, बालिका-02

पेयजल की सुविधाः- चापाकल- 02

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- 01

बाधा रहित पहुँचः- स्वामी विवेकानन्द मार्ग के उत्तर में कि भवन अवस्थित है।

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- है।

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या-PSR- 98/2014-15 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

एक प्रति पाया।
मनोज कुमार झुम्मा
30/07/2014

16/7/14

विश्वासभाजन

16/7/14

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
-सह- सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्राथमिक शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा

प्रपत्र–2

(28)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,

प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान

मधेपुरा।

पत्रांक...1620.. दिनांक...21/07/14

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक, होली क्रास बालिका विद्यालय, मधेपुरा

विषय :– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक..12.02.14..और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय ..होली क्रास बालिका विद्यालय, शास्त्रीनगर, वार्ड नं०-19, मधेपुरा..

(विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा ..01.. से ..08.. तक संचालन हेतु तीन वर्षो July-2014 ..... से March-2015.. की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगीः

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :–

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः- 5700 Sq. ft.

कुल निर्मित क्षेत्रः- 10,600 Sq. ft.

खेल के मैदानों का क्षेत्रः- 7600 Sq. ft.

वर्गकक्षों की कुल संख्याः- 16

प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- 01

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-05, बालिका-04

पेयजल की सुविधाः- चापाकल- 03

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- नहीं

बाधा रहित पहुँचः- हाँ

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- हाँ

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या-PSR- 43/2014-15 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

विश्वासभाजन

16/7/14

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
-सह- सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

Remind
one Li) copy
Gajendra Kumar
28/7/14

प्रपत्र–2

(27)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक....1619.....  दिनांक..24/07/14

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक, आनंदा शिक्षा मंदिर, मधेपुरा

विषय :– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 26.03.14 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय आनंदा शिक्षा मंदिर, वार्ड नं0-2, मधेपुरा

(विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा 01 से 08 तक संचालन हेतु तीन वर्षो July-2014 से March-2015 की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगी:

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :–

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः- 8000 Sq. ft.

कुल निर्मित क्षेत्रः- 4000 Sq. ft.

खेल के मैदानों का क्षेत्रः- 7600 Sq. ft.

वर्गकक्षों की कुल संख्याः- 17

प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- 01

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-04, बालिका-02

पेयजल की सुविधाः- चापाकल- 02

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- 01

बाधा रहित पहुँचः- है

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- है

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या-PSR- 45/2014-15 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

एक प्रति प्राप्त। Shri Narayan Yadav 26/7/14 Principal. 16/7/14

विश्वासभाजन

16/7/14

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
-सह- सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा

प्रपत्र-2

(26)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,

प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान

मधेपुरा।

पत्रांक...1618... दिनांक...21/04/2014...

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक, सिटी विनायक स्कूल, मधेपुरा

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन-पत्र दिनांक...26.02.14...और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय ...सिटी विनायक स्कूल, वार्ड नं0-19, मधेपुरा... (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा ...01... से ...08... तक संचालन हेतु तीन वर्षो ...July-2014... से ...March-2015... की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगीः

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न-01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक-02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा-01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका-03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण-पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :-

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः- 4600 Sq. ft.

कुल निर्मित क्षेत्रः- 1450 Sq. ft.

खेल के मैदानों का क्षेत्रः- 2550 Sq. ft.

वर्गकक्षों की कुल संख्याः- 12

प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- 01

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-01, बालिका-01

पेयजल की सुविधाः- चापाकल- 02

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- नहीं

बाधा रहित पहुँचः- हाँ

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- हाँ

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या-PSR- 41/2014-15 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

विश्वासभाजन

16/7/14

18/7/14

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
-सह- सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

Received
23/7/14

(24)

प्रपत्र-2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक...1616... दिनांक...21/07/2014...

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक, सरदार अजात सिंह आवासीय विद्यालय, बिहारीगंज

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन-पत्र दिनांक...12/11/11...और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय ...सरदार अजात सिंह आवासीय विद्यालय, आजादनगर कठौतिया, बिहारीगंज... (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा ...01... से ...08... तक संचालन हेतु तीन वर्षो ...July-2014... से ...March-2015... की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगीः

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न-01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक-02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा-01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका-03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण-पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :-

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः-

कुल निर्मित क्षेत्रः-

खेल के मैदानों का क्षेत्रः- 100X65 M

वर्गकक्षों की कुल संख्याः- 10

प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- 02

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-....., बालिका-.....

पेयजल की सुविधाः- चापाकल- 01

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- 02

बाधा रहित पहुँचः-

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- है।

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या-PSR- 47/2014-15 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

16/7/14

विश्वासभाजन

16/7/14

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
-सह- सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्राथमिक शिक्षा एवं शिक्षा अभियान
मधेपुरा

एक प्रति पाया
भवेश चन्द्र भक्त
23/7/14
निदेशक

(23)

प्रपत्र-2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक 1614 दिनांक 21/07/2014

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक, एंग्लो वैदिक विद्या मंदिर.

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन-पत्र दिनांक 03.03.2014 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय एंग्लो वैदिक विद्या मंदिर, अरहरी बाजार, मधेपुरा

(विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा 01 से 08 तक संचालन हेतु तीन वर्षो July 2014 से March 2015 की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगीः

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न-01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक-02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा-01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका-03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण-पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :-

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः- 4035 Sq. ft.

कुल निर्मित क्षेत्रः- 1890 Sq. ft.

खेल के मैदानों का क्षेत्रः- 800 Sq. ft.

वर्गकक्षों की कुल संख्याः- 05

प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- 01

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-02, बालिका-01

पेयजल की सुविधाः- चापाकल- 02

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- नहीं

बाधा रहित पहुँचः- हाँ, मधेपुरा-खवालपाड़ा सड़क के पश्चिम में अवस्थित है।

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- हाँ

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या-PSR- 27/2014-15 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्तें।

विश्वासभाजन

16/07/14

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
-सह- सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्राथमिक शिक्षा अभियान
मधेपुरा

MUKUL P
16/7/14
I received one copy
Sanjay
23/07/14

प्रपत्र–2

(25)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक...1617... दिनांक...21/7/2014...

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक, नेशनल डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल, उदाकिशनगंज

विषय :– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 22.02.14 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय नेशनल डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल, उदाकिशनगंज

(विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा ..01.. से ..08.. तक संचालन हेतु तीन वर्षो ..July-2014 ..... से March 2015.. की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगीः

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :–

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः- 11781 Sq. ft.

कुल निर्मित क्षेत्रः- 8946 Sq. ft.

खेल के मैदानों का क्षेत्रः- 6000 Sq. ft.

वर्गकक्षों की कुल संख्याः- 10

प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- 01

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-04, बालिका-01

पेयजल की सुविधाः- चापाकल- 01

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- 02

बाधा रहित पहुँचः- है

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- है

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या-PSR- 44/2014-15 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

विश्वासभाजन

16/7/14

16/7/14

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
-सह- सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

एक प्रति धाया
Sajan dwo Kumar
23/7/14
निदेशक

(22)

प्रपत्र–2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक...1612... दिनांक...21/07/14...

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक, एस0 बी0 रेसीडेन्शियल पब्लिक स्कूल, मधेपुरा

विषय :– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक...16.07.2014...और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय एस0 बी0 रेसीडेन्शियल पब्लिक स्कूल, वार्ड नं0-01, मधेपुरा

(विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा ...01... से ...08... तक संचालन हेतु तीन वर्षो ...July-2014... से ...March-2015... की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगीः

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :–

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।
विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः- 18000 Sq. ft.
कुल निर्मित क्षेत्रः- 9000 Sq. ft.
खेल के मैदानों का क्षेत्रः- 9000 Sq.ft.
वर्गकक्षों की कुल संख्याः- 17
प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- 01
बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-09, बालिका-02
पेयजल की सुविधाः- चापाकल- 03
मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- 01
बाधा रहित पहुँचः- है
शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- है

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या-PSR- 39 2014-15 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

विश्वासभाजन

16/9/2014

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
-सह- सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

16/9/14

23/07/2014

(20)

प्रपत्र–2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक....1208 दिनांक....07/06/14

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक आवासीय पुरूषोत्तम शिशु विद्या मंदिर

विषय :– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 30/09/11 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय आवासीय पुरूषोत्तम शिशु विद्या मंदिर, रामरतिया, मधेपुरा।
(विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा 01 से 08 तक संचालन हेतु तीन वर्षो अप्रैल-2014 ..... से मार्च-2015 की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगीः

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :–

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः-

कुल निर्मित क्षेत्रः-

खेल के मैदानों का क्षेत्रः- 6000 वर्ग फीट

वर्गकक्षों की कुल संख्याः- 11

प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- .....

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-02, बालिका-01

पेयजल की सुविधाः- चापाकल- 03

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- .....

बाधा रहित पहुँचः-

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- .....

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या-PSR- 27/2013-14 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

एकनीति पाण्डेय
डोगरा, मधेपुरा
07.06.14

Hulas
3/3/14

विश्वासभाजन
3/3/14
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
-सह- सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा

प्रपत्र–2

(21)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,

प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान

मधेपुरा।

पत्रांक...1613... दिनांक...21/07/2014

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक, सन शाईन एकेडमी, मधेपुरा

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक17.01.2014और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय ...सन शाईन एकेडमी, वार्ड नं0–03, मधेपुरा...

(विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा ...01... से ...08... तक संचालन हेतु तीन वर्षो July-2014 ..... से March-2015 की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगीः

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :–

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः- 7500 Sq. ft.

कुल निर्मित क्षेत्रः- 3325 Sq. ft.

खेल के मैदानों का क्षेत्रः- 3800 Sq. ft.

वर्गकक्षों की कुल संख्याः- 12

प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- 01

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-02, बालिका-02

पेयजल की सुविधाः- चापाकल- 04

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- 01

बाधा रहित पहुँचः- हाँ

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- हाँ

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या-PSR- 40/2014-15 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

विश्वासभाजन

Hulas 18/7/14

18/7/14

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
-सह- सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा

Received one Copy.
Suvoy K
23/07/14.
Director, SUNSHINE ACADEMY

प्रपत्र–2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक.....  दिनांक.....

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक, श्री वरदान आश्रम

विषय :– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 30/09/11 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय श्री वरदान आश्रम .....

(विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा 01 से 08 तक संचालन हेतु तीन वर्षो अप्रैल-2014 ..... से मार्च-2017 की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगीः

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :–

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः-

कुल निर्मित क्षेत्रः-

खेल के मैदानों का क्षेत्रः- .....

वर्गकक्षों की कुल संख्याः- .....14.....

प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- .....

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-.....04....., बालिका-.....02.....

पेयजल की सुविधाः- चापाकल- .....03.....

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- .....

बाधा रहित पहुँचः-

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- .....

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

प्रपत्र–2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,

प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान

मधेपुरा।

पत्रांक.....  दिनांक.....

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक, श्री वरदान आश्रम

विषय :– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 30/09/11 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय श्री वरदान आश्रम .....

(विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा 01 से 08 तक संचालन हेतु तीन वर्षो अप्रैल-2014 ..... से मार्च-2017 की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगीः

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :–

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः-

कुल निर्मित क्षेत्रः-

खेल के मैदानों का क्षेत्रः- .....

वर्गकक्षों की कुल संख्याः- .....14.....

प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- .....

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-.....04....., बालिका-.....02.....

पेयजल की सुविधाः- चापाकल- .....03.....

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- .....

बाधा रहित पहुँचः-

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- .....

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

(15)

प्रपत्र-2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक...1000...  दिनांक...19/05/14...

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक, पाराम्बाउट स्कूल, बिहारीगंज

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन-पत्र दिनांक...30.11.11...और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय ...पाराम्बाउट स्कूल, बसनगामा, बिहारीगंज...
(विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा ..01... से ..08.. तक संचालन हेतु तीन वर्षो ...अप्रील 2014... से ...मार्च 2017... की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगीः

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न-01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक-02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा-01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका-03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण-पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :-

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः- 1.68 डीसमल

कुल निर्मित क्षेत्रः-

खेल के मैदानों का क्षेत्रः- 150 ft x 100 ft

वर्गकक्षों की कुल संख्याः- .....

प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- .....

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-...04.., बालिका-...01.....

पेयजल की सुविधाः- चापाकल- ....05.....

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- .....

बाधा रहित पहुँचः-

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- ...उपलब्ध है...

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या-PSR- 30/2013-14 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

विश्वासभाजन

20/3/14

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
सह- सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

Hulas 20/3/14

Received Rajiv Kumar 20/05/2014

(16)

प्रपत्र–2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक..262..... दिनांक....06/02/14

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक बुद्धा पब्लिक स्कूल, पश्चिमी बायपास रोड, मधेपुरा।

विषय :– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 30.01.14 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय ..... बुद्धा पब्लिक स्कूल, पश्चिमी बायपास रोड, मधेपुरा. (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा ..01.... से ..08. तक संचालन हेतु तीन वर्ष अप्रील 2014 ..... से मार्च 2017 ... की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

O/C

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगी:

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :–

Hukd
3/2/14

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः-

कुल निर्मित क्षेत्रः-

खेल के मैदानों का क्षेत्रः- .....

वर्गकक्षों की कुल संख्याः- .....08.....

प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- .....01.....

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-.....01....., बालिका-.....01.....

पेयजल की सुविधाः- चापाकल- .....01.....

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- .....

बाधा रहित पहुँचः-

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- .....हाँ.....

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

Mukund
प्रभारी

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या-PSR- 20 2013-14 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

Hulad 3/4/14

विश्वासभाजन

03/2/14

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

-सह- सचिव

प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान

मधेपुरा।

(13)

प्रपत्र-2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक....713.... दिनांक...31/03/14

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक, चमेली देवी सरस्वती शिशु मंदिर, बिहारीगंज

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन-पत्र दिनांक 01.08.12 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय चमेली देवी सरस्वती शिशु मंदिर, डॉ० हेड गवार नगर, बिहारीगंज (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा 01 से 08 तक संचालन हेतु तीन वर्षो अप्रील 2014 ..... से मार्च 2015 की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगीः

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न-01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक-02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा-01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका-03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण-पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :-

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः-

कुल निर्मित क्षेत्रः-

खेल के मैदानों का क्षेत्रः- 50 डीसमल

वर्गकक्षों की कुल संख्याः- 21

प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- 01

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-06, बालिका-05

पेयजल की सुविधाः- चापाकल- 05

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- .....

बाधा रहित पहुँचः-

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- उपलब्ध है।

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या-PSR- 29/2013-14 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

एक प्रति पाया।
मनोहर साह
द्वारा श्री महादेव
चमेली देवी सरस्वती
शिशु मंदिर मधेपुरा
3006/15240

Mahesh 3/3/14

विश्वासभाजन
28/2/14
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
-सह- सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा

(K)

प्रपत्र–2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक...999... दिनांक...19/05/17...

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक सरस्वती शिशु ज्ञान मंदिर

विषय :– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक...11/11/11...और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय ...सरस्वती शिशु ज्ञान मंदिर, बिहारीगंज चक्र स्टैन्ड (मधेपुरा)...
(विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा ...01... से ...08... तक संचालन हेतु तीन वर्षो ...अप्रैल-2014... से ...मार्च-2017... की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगीः

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :–

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।
विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः-
कुल निर्मित क्षेत्रः-
खेल के मैदानों का क्षेत्रः- 03 कट्ठा
वर्गकक्षों की कुल संख्याः- 07
प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- .....
बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-03, बालिका-02
पेयजल की सुविधाः- चापाकल- 01
मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- .....
बाधा रहित पहुँचः-
शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- .....

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या-PSR- 32 2013-14 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

विश्वासभाजन

3/3/14

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
सह-सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

Hulas 3/3/14

Received 3/3/14

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा

(12)

प्रपत्र-2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक...260... दिनांक...06/02/14...

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक संत विलियम्स रेसिडेन्सियल स्कूल, वार्ड नं०-21, कचहरी चौक, मधेपुरा

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन-पत्र दिनांक...3/9/11...और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय ...संत विलियम्स रेसिडेन्सियल स्कूल, वार्ड नं०-21, कचहरी चौक, मधेपुरा...

(विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा ...01... से ...08... तक संचालन हेतु तीन वर्ष के लिए अप्रील 2014 ..... से मार्च 2017 ..... की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगी:

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न-01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक-02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा-01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका-03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण-पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :-

Hules
3/2/14

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः-

कुल निर्मित क्षेत्रः-

खेल के मैदानों का क्षेत्रः- .....

वर्गकक्षों की कुल संख्याः- ..... 13

प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- ..... 03

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-..... 02, बालिका-..... 02

पेयजल की सुविधाः- चापाकल- ..... 03

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- .....

बाधा रहित पहुँचः-

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- ..... हाँ

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

31/1/14

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या-PSR- 19 2013-14 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

Hulus 3/2/14

विश्वासभाजन

3/2/2014

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

-सह- सचिव

प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान

मधेपुरा।

(11)

प्रपत्र–2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक....1101.  दिनांक....2.6/05/14

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक, श्री वरदान विद्या आश्रम

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक..30/09/13..और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय ..श्री वरदान विद्या आश्रम, मुरलीगंज.....
(विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा ..01... से ..08.. तक संचालन हेतु तीन वर्षो ..अप्रील 2014 ..... से ..मार्च 2017.. की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगीः

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाऍगें :–

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।
विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः-
कुल निर्मित क्षेत्रः-
खेल के मैदानों का क्षेत्रः- .....
वर्गकक्षों की कुल संख्याः- .....14.....
प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- .....
बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-.....04....., बालिका-.....02.....
पेयजल की सुविधाः- चापाकल- .....03.....
मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- .....
बाधा रहित पहुँचः-
शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- .....

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या-PSR- 36/2013-14 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

विश्वासभाजन

20/3/14

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
-सह- सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

HuluD
20/3/14

एक प्रति पाया।
Omprakash Jaiswal
02-06-14 (Principal)

(10)

प्रपत्र–2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक....995.... दिनांक....19/05/14....

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक, एस0 वी0 गुरुकुल, बिहेश्वर

विषय :– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 11.11.11 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय एस0 वी0 गुरुकुल, शान्तिवन गली, बिहेश्वर

(विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा 01 से 08 तक संचालन हेतु तीन वर्षो अप्रील-2014 ..... से मार्च-2017 की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगीः

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा। o/c
03. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :–

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः-

कुल निर्मित क्षेत्रः-

खेल के मैदानों का क्षेत्रः- .....

वर्गकक्षों की कुल संख्याः- .....14.....

प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- .....01.....

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-.....03....., बालिका-.....03.....

पेयजल की सुविधाः- चापाकल- .....दो.....

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- .....

बाधा रहित पहुँचः-

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- .....उपलब्ध है।.....

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या-PSR- 93 2013-14 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

विश्वासभाजन

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
-सह- सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

प्रपत्र–2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक 258 दिनांक 06/02/14

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक विजडम पब्लिक स्कूल, वार्ड नं0-15, जगपालपट्टी, मधेपुरा

विषय :– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 30/09/11 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय विजडम पब्लिक स्कूल, वार्ड नं0-15, जगपाल पट्टी, मधेपुरा (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा 01 से 08 तक संचालन हेतु तीन वर्ष अप्रील 2014 से मार्च 2017 की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगी:

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण-पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :–

Mulad

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः- 400 X 100 फीट

कुल निर्मित क्षेत्रः-

खेल के मैदानों का क्षेत्रः- .....

वर्गकक्षों की कुल संख्याः- .....09.....

प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- .....02.....

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-.....02....., बालिका-.....02.....

पेयजल की सुविधाः- चापाकल- .....02.....

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- .....

बाधा रहित पहुँचः-

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- .....हाँ.....

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

Hulas

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या–PSR– 17/2013-14 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय–समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

विश्वासभाजन

8/03/2014

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
–सह– सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

Hulas
3/4/14

(18)

प्रपत्र–2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक.....1155 दिनांक.....04/06/14

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक, मिथिला पब्लिक स्कूल, बिहारीगंज

विषय :– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 23.11.11 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय मिथिला पब्लिक स्कूल, वार्ड नं0– 02, बिहारीगंज (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा 01 से 08 तक संचालन हेतु तीन वर्षो अप्रील 2014 से मार्च 2017 की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगीः

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :–

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः-

कुल निर्मित क्षेत्रः-

खेल के मैदानों का क्षेत्रः- 39 डिसमल

वर्गकक्षों की कुल संख्याः- 01

प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- .....

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-03, बालिका-01

पेयजल की सुविधाः- चापाकल- 03

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- .....

बाधा रहित पहुँचः-

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- उपलब्ध है

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या-PSR- 23 2013-14 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

विश्वासभाजन

3/4/14

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
-सह- सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा

Hulas
30/3/14

एक प्रति पाया
Ratan Kumar Jha
04/06/14 (सचिव)

(A)

प्रपत्र–2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक.....988.....  दिनांक.....19/05/14

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक, निर्यो ह्यूमेनेस्टिक स्कूल

विषय :– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक.30/09/11...और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय .....निर्यो ह्यूमेनेस्टिक स्कूल, वार्ड नं0:- 04, मधेपुरा।.....

(विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा ..01.. से ..08.. तक संचालन हेतु तीन वर्षो ..अप्रैल-2014..... से .....मार्च-2017.. की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगीः

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :–

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः-

कुल निर्मित क्षेत्रः-

खेल के मैदानों का क्षेत्रः- 50 x 20 $m^2$

वर्गकक्षों की कुल संख्याः- 08

प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- .....

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-01, बालिका-01

पेयजल की सुविधाः- चापाकल- 02

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- .....

बाधा रहित पहुँचः-

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- .....

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या-PSR- 35/2013-14 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

विश्वासभाजन

30/3/2014

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
-सह- सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

Hulas 30/3/14

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा

एक प्रति पाया
Om prakash yadav.

प्रपत्र–2

(17)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक...997...  दिनांक...19/05/14

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक आनंदीप निकेतन, मधेपुरा

विषय :– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक..30.09.11..और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय ...आनंदीप निकेतन... ...पानी टंकी चौक, मधेपुरा, वार्ड नं0-20...
(विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा ..01... से ..08.. तक संचालन हेतु तीन वर्षो ..अप्रील... 2014.... से ..मार्च 2017.... की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगीः

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा। 0/C
03. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :–

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः-

कुल निर्मित क्षेत्रः-

खेल के मैदानों का क्षेत्रः- .....

वर्गकक्षों की कुल संख्याः- .....10.....

प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- ..02....

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-...01..., बालिका-....01.....

पेयजल की सुविधाः- चापाकल- ....01.....

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- .....

बाधा रहित पहुँचः-

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- .....उपलब्ध है.....

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या–PSR– 24 2013-14 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय–समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

विश्वासभाजन

30/3/2013

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
–सह– सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
जिला शिक्षा गव सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा

30/3/14

प्रपत्र-2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,

पा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान

मधेपुरा।

पत्रांक 424 दिनांक 31/7/12

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक झाँसी क्रॉस स्कूल, मधेपुरा

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन-पत्र दिनांक 11/11/11 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय झाँसी क्रॉस स्कूल शास्त्रीनगर वार्ड नं0-19 मधेपुरा (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षों अप्रील 2012 से मार्च 2015 की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगी:-

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न-01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक-02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा-01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका-03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण-पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :-

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।
विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः-
कुल निर्मित क्षेत्रः-
खेल के मैदानों का क्षेत्रः- .....
वर्गकक्षों की कुल संख्याः- .....18.....
प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- .....–.....
बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-.....07....., बालिका-.....05.....
पेयजल की सुविधाः- चापाकल- .....03.....
मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- .....–.....
बाधा रहित पहुँचः- –
शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- .....हाँ.....

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

196

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या–PSR– 08 2012-13 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय–समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

Revised
01.8.2012

HUKAS
31/7/12

विश्वासभाजन
31/07/12
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
–सह–सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा

प्रपत्र–2

42

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक 388 दिनांक 30/06/12

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक, मॉडल शकुन्तला पब्लिक स्कूल, वार्ड न0-4, मधेपुरा

विषय :– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 27/9/11 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय मॉडल शकुन्तला पब्लिक स्कूल, वार्ड न0 4, सुनिया पिंडी चौक मधेपुरा

(विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा ...1... से ...8... तक संचालन हेतु तीन वर्ष अप्रील 2012 ..... से मार्च 2015 ..... की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

O/C

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तों के अनुपालन के अधीन होगी:

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :–

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः-

कुल निर्मित क्षेत्रः-

खेल के मैदानों का क्षेत्रः- .....-.....

वर्गकक्षों की कुल संख्याः- ....10.....

प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- ....01...

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-..03.., बालिका-..03.....

पेयजल की सुविधाः- चापाकल- ....06....

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- ....-.....

बाधा रहित पहुँचः- -

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- ....01.....

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा। 46

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या-BSR- 04 12-13 ..... है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

Hulas 30/6/12

एक प्रति पावती

रमेश कुमार ठाकुर

शिक्षक

विश्वासभाजन

30-6-12

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

-सह- सचिव

प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान

मधेपुरा।

प्रपत्र-2

45

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक 387 दिनांक 30/06/12

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन-पत्र दिनांक 27/9/12 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय एन0 आर0 डी0 पब्लिक स्कूल, ग्राम+पो0 - धर्मेस, बिहारीगंज

(विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्ष अप्रैल 2012 से मार्च 2015 की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तो के अनुपालन के अधीन होगी:

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न-01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक-02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा-01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका-03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण-पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :-

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।
विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः-
कुल निर्मित क्षेत्रः-
खेल के मैदानों का क्षेत्रः- .....
वर्गकक्षों की कुल संख्याः- ....06.....
प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- ....—.....
बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-....01...., बालिका-.01.....
पेयजल की सुविधाः- चापाकल- ...01.....
मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- .....—.....
बाधा रहित पहुँचः- —
शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- ....01.....

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

144

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या-PSR-05/2012-13.... है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

विश्वासभाजन

17 July 30/6/12

30-7-2012

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

-सह- सचिव

प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान

मधेपुरा।

एक प्रति प्रधान
प्रधानाध्यापक सिंह महोदया
05-07-012

प्रपत्र–2

143

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक 370 दिनांक 25/06/12

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक, माधा विद्या निकेतन, डी0बी रोड मधेपुरा

विषय :– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 12/11/11 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय माधा विद्या निकेतन डी0 बी0 रोड वार्ड-न0 20 मधेपुरा

(विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा 01 से 08 तक संचालन हेतु तीन वर्षो अप्रील 2012 से मार्च 2015 की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

01c

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगीः

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :–

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः-

कुल निर्मित क्षेत्रः-

खेल के मैदानों का क्षेत्रः- .....

वर्गकक्षों की कुल संख्याः- ...16.....

प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- .....01.

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-.....02., बालिका-.....02.....

पेयजल की सुविधाः- चापाकल- .....03....

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- .....

बाधा रहित पहुँचः-

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- .....हाँ.....

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या–PSR– 02 2012-13 ..... है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय–समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

विश्वासभाजन

25-6-12

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
–सह– सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

Received by.
M. K. Mandal.
Correspondent
Maya vidya Niketan
Madhepura

25/6/12

प्रपत्र–2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक...3393... दिनांक...27/12/14...

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

सदाशिव कॉलेज टेम्पल, चन्द्रा सिनेमा रोड, वार्ड न०-21, मधेपुरा।

विषयः बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 30/11/2011 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय सदाशिव कॉलेज टेम्पल, वार्ड न०-21, चन्द्रा सिनेमा रोड, मधेपुरा (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा ...01... से ...08... तक संचालन हेतु तीन वर्षो दिसम्बर 2014 से मार्च 2018 की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तो के अनुपालन के अधीन होगीः–

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों की नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जयेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएगें:–
   i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।
   ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शरीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।
   iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
   iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम–22 के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
   v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चो का समावेशन किया जायेगा।
   vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा–23 की उपधारा–01 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते है, वे 5 वर्षो के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
   vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
   viii. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 के प्रावधनों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 मे उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।
    विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलबध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः
    विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः– 2821 वर्ग फीट
    कुल निर्मित क्षेत्रः– 960 वर्ग. फीट
    खेल के मैदानों का क्षेत्रः– 1531 वर्ग. फीट
    वर्गकक्षों की कुल संख्याः– 07
    प्रधानाध्यापक –सह– कार्यालय –सह– भंडार कक्षाः– 01
    बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शैचालयः– बालक + बालिका = 01
    पेयजल की सुविधा :– चापाकल 01
    मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर :– नहीं
    बाधा रहित पहुँचः– है
    शिक्षा अधिगम सामग्री/खेल–कूद उपकरण/पुस्तकालयः – उपलब्ध
11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860, (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एंव उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड सं0–PSR.....69 2014-15 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय–समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तो के लगातार रूप से करने की सूनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबधित कठिनाइयो कों दूर करने हेतू समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नंक III के रूप में संलग्न अन्य शर्ते।

विश्वासभाजन

7/12/14

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
–सह– सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

One copy received
योगेन्द्र कुमार मंडल 'योगी'
05/01/015

प्रपत्र–2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक.....3392 दिनांक.....27/12/14

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक

बी०ए० इन्टरनेशनल स्कूल, इक्वालपाड़ा, मधेपुरा।

विषयः बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 01/04/2013 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय बी० ए० इन्टरनेशनल स्कूल, इक्वालपाड़ा, मधेपुरा (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा 01 से 08 तक संचालन हेतु तीन वर्षो दिसम्बर 2014 से मार्च 2017 की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तो के अनुपालन के अधीन होगीः–

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों की नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जयेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएगें:–
   i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।
   ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शरीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।
   iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
   iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम–22 के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
   v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चो का समावेशन किया जायेगा।
   vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा–23 की उपधारा–01 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते है, वे 5 वर्षो के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
   vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
   viii. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 के प्रावधनों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 मे उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।
    विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलबध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः
    विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः– 8860 वर्ग फीट
    कुल निर्मित क्षेत्रः–3500 वर्ग फीट
    खेल के मैदानों का क्षेत्रः–5000 वर्ग फीट
    वर्गकक्षों की कुल संख्याः–19
    प्रधानाध्यापक –सह– कार्यालय –सह– भंडार कक्षाः–01
    बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शैचालयः– बालक 01 बालिका 01
    पेयजल की सुविधा :– चापाकल 02
    मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर :–हाँ है-01 कमरा
    बाधा रहित पहुँचः–हाँ
    शिक्षा अधिगम सामग्री/खेल–कूद उपकरण/पुस्तकालयः –उपलब्ध
11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860, (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एंव उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड सं0–PSR.....68/2014-15..... है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय–समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तो के लगातार रूप से करने की सूनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबधित कठिनाइयो कों दूर करने हेतू समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नंक III के रूप में संलग्न अन्य शर्ते।

5/1/2014

**विश्वासभाजन**

5/1/2014

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
–सह– सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

एक प्रति पाया।
मिथुन कुमार
5/1/15

प्रपत्र–2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक....3406 दिनांक...27/12/2014

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

के० के० नेशनल पब्लिक स्कूल, चौंसा, मधेपुरा।

विषयः बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक..... और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय के० के० नेशनल पब्लिक स्कूल, चौंसा, मधेपुरा (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा 01 से 08 तक संचालन हेतु तीन वर्षो दिसम्बर 2014 से मार्च 2017 की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तो के अनुपालन के अधीन होगीः–

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों की नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जयेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएगें:–
   i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।
   ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शरीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।
   iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
   iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम–22 के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
   v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चो का समावेशन किया जायेगा।
   vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा–23 की उपधारा–01 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते है, वे 5 वर्षो के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
   vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
   viii. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 के प्रावधनों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 मे उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलबध सुविधाओं का विवरण निम्नवत:

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल:– 6756 वर्ग फीट

कुल निर्मित क्षेत्र:– 4256 वर्ग

खेल के मैदानों का क्षेत्र:– 2500 वर्ग फीट

वर्गकक्षों की कुल संख्या:– 12 कमरा

प्रधानाध्यापक –सह– कार्यालय –सह– भंडार कक्षा:– 01

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शैचालय:– बालक 02 बालिका 02

पेयजल की सुविधा :– चापाकल 1 नल = 08

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर :– है

बाधा रहित पहुँच:– है

शिक्षा अधिगम सामग्री/खेल–कूद उपकरण/पुस्तकालय: – उपलब्ध

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860, (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एंव उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड सं0–PSR 81 2014-15 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय–समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तो के लगातार रूप से करने की सूनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबधित कठिनाइयो को दूर करने हेतू समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नंक III के रूप में संलग्न अन्य शर्ते।

15/12/14

विश्वासभाजन

15/12/14

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
–सह– सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

219

**प्रपत्र–2**

**जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी, मधेपुरा।**

पत्रांकः– 595 दिनांकः– 02/04/13

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यस्थापक / प्रबंधक आवासीय मिश्र मिशु निकेतन, भरही बाजार

विषयः– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 26/09/11 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय ..... आवासीय मिश्र मिशु निकेतन, भरही बाजार (विद्यालय का नाम एवं पूरा). ..... ..... कक्षा से 01 से 08 तक संचालन हेतु तीन वर्षो अप्रील 2012 से मार्च 2015 से अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगीः

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।

06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :–
    (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।
    (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।
    (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
    (iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम–22 के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
    (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।
    (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा–23 की उपधारा–01 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नही धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।
    (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा–24 की उपधारा–01 में प्रावधानिक शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेगें।
    (viii) शिक्षक नीजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविध में संलग्न नहीं होगें।
08. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुशरण करेगा।
09. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः–

विद्याालय परिसर का क्षेत्रफलः– २००×२० फीट

कुल निर्मित क्षेत्रः–

खेल के मैदानों का क्षेत्रः– १००×४० फीट

वर्गकक्षों की कुल संख्याः– १६

प्रधानाध्यापक –सह– कार्यालय –सह– भंडार कक्षः– ०२

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालयः– बालक-०१, बालिका-०१

पेयजल की सुविधा :– चापाकल - 03
मध्याह्न भोजन के लिए रसोई–घरः– 01
बाधा रहित पहुँच :– नहीं
शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः– हाँ

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रति वर्ष जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजी जायेगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या PSR-13 2012-13 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय–समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्तो के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चतता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशो का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।
19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा एवं वयस्क शिक्षा अभियान
मधेपुरा

विश्वासभाजन,
जिला शिक्षा कार्यक्रम
पदाधिकारी –सह– सचिव,
मधेपुरा।

एकसूचनार्थ
2.4.13

213

**प्रपत्र–2**

**जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी, मधेपुरा।**

पत्रांकः– 594 दिनांकः– 02/04/13

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यस्थापक / प्रबंधक ~~xxxx~~ रेडिऐन्दियल बी०आर० आक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल मुरलीगंज।

विषयः– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 30/9/11 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय ..... रेडिऐन्दियल बी०आर० आक्सफोर्ड पब्लिक (विद्यालय का नाम एवं पूरा). स्कूल मुरलीगंज ..... ..... कक्षा से 01 दे 08 तक संचालन हेतु तीन वर्षो अप्रील 2012 दे मार्च 2015 से अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगीः

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।

06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।

07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :–

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम–22 के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा–23 की उपधारा–01 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नही धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा–24 की उपधारा–01 में प्रावधानिक शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेगें।

(viii) शिक्षक नीजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविध में संलग्न नहीं होगें।

08. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुशरण करेगा।

09. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः–

विद्याालय परिसर का क्षेत्रफलः– 40×250 फीट

कुल निर्मित क्षेत्रः–

खेल के मैदानों का क्षेत्रः–

वर्गकक्षों की कुल संख्याः– 07

प्रधानाध्यापक –सह– कार्यालय –सह– भंडार कक्षः– 02

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालयः– बालक-03, बालिका-02

पेयजल की सुविधा :– चापाकल - 2

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई–घरः– 01

बाधा रहित पहुँच :– नहीं

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः– हाँ

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रति वर्ष जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजी जायेगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या ASR-15 2012-13 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय–समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्तो के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चतता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशो का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।
19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्राथमिक शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा

जिला शिक्षा कार्यक्रम
पदाधिकारी –सह– सचिव,
मधेपुरा।

**प्रपत्र–2**

**जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी, मधेपुरा।**

पत्रांकः– 595 दिनांकः– 02/04/13

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यस्थापक / प्रबंधक आपार्दीय विद्या विहार पब्लिक स्कूल कपिपाई

विषयः– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 30/09/11 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय ..... आपार्दीय विद्या विहार पब्लिक स्कूल कपिपाई (विद्यालय का नाम एवं पूरा). ..... ..... कक्षा से 01 से 08 तक संचालन हेतु तीन वर्षो अप्रैल 2012 से मार्च 2015 से अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगीः

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।

06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :–
    (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।
    (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।
    (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
    (iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम–22 के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
    (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।
    (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा–23 की उपधारा–01 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नही धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।
    (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा–24 की उपधारा–01 में प्रावधानिक शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेगें।
    (viii) शिक्षक नीजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविध में संलग्न नहीं होगें।
08. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुशरण करेगा।
09. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः–

विद्याालय परिसर का क्षेत्रफलः– 10 कहा

कुल निर्मित क्षेत्रः–

खेल के मैदानों का क्षेत्रः–

वर्गकक्षों की कुल संख्याः– 10

प्रधानाध्यापक –सह– कार्यालय –सह– भंडार कक्षः– 01

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालयः– बालक-01, बालिका-01

पेयजल की सुविधा :– चापाकल- 02
मध्याह्न भोजन के लिए रसोई–घरः– 01
बाधा रहित पहुँच :– नहीं
शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः– हाँ

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रति वर्ष जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजी जायेगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या DSR-14 2012-13 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय–समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्तो के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चतता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशो का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।
19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

30/3/17

विश्वास भाजन
जिला शिक्षा कार्यक्रम
पदाधिकारी –सह– सचिव,
मधेपुरा।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा

एक प्रति पाया
Rajesh Kumar
2.4.13

208

प्रपत्र–2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक...647...  दिनांक...18/09/12...

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक, बॉसी क्रॉस मध्य विद्यालय तिनकोनमा

विषय :– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक...08/11/11...और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय ...बॉसी क्रॉस मध्य विद्यालय तिनकोनमा, मुरलीगंज...
(विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा ...01... से ...08... तक संचालन हेतु तीन वर्ष अप्रील 2012 ..... से ...मार्च 2015... की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगी:

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :–

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः-

कुल निर्मित क्षेत्रः- -

खेल के मैदानों का क्षेत्रः- 08 डेसी.....

वर्गकक्षों की कुल संख्याः- 09.....

प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- -.....

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-06.., बालिका-04.....

पेयजल की सुविधाः- चापाकल- 04.....

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- -.....

बाधा रहित पहुँचः- -

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- हाँ.....

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल 207 विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या-PSR-10/2012-13 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

विश्वासभाजन

14/09/12

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

-सह- सचिव

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
मधेपुरा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
जिला शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान

प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान

मधेपुरा।

Received
Sr. Elizabeth
19/09/12

210

प्रपत्र–2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक...646... दिनांक...18/09/12...

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक, दामोदरी शतुरन स्कैडमी

विषय :– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक...29/09/12...और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय ...दामोदरी शतुरन स्कैडमी... वार्ड नं0–06 प्रोफेसर कालोनी, मधेपुरा

(विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा ...01... से ...08... तक संचालन हेतु तीन वर्षों ...अप्रील 2012... से ...मार्च 2015... की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तों के अनुपालन के अधीन होगी:

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका–03 में उल्लत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :–

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः-

कुल निर्मित क्षेत्रः-

खेल के मैदानों का क्षेत्रः- ....1000 वर्गमीटर

वर्गकक्षों की कुल संख्याः- ....10.....

प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- .....—.....

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-...05., बालिका-...03.....

पेयजल की सुविधाः- चापाकल- ....03.....

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- .....—.....

बाधा रहित पहुँचः- —

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- ....हाँ.....

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

209

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या-PSR-09 2012-13. है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

विश्वासभाजन

14/09/12

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
-सह-सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
जिला शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा

Received one copy
Signature
26/09/12

(5)

प्रपत्र-2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक...998...  दिनांक...19/05/14

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक, मानसरोवर ज्ञान निकेतन, बिहारीगंज

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन-पत्र दिनांक 30.09.11 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय ...मानसरोवर ज्ञान निकेतन, तुलसिया, बिहारीगंज...
(विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा ..01.. से ..08.. तक संचालन हेतु तीन वर्षो ...अप्रील 2014... से ...मार्च 2017... की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगीः

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न-01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक-02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा-01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका-03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण-पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :-

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः-

कुल निर्मित क्षेत्रः-

खेल के मैदानों का क्षेत्रः- 150ft x 100ft

वर्गकक्षों की कुल संख्याः- 21

प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- .....

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-05, बालिका-05

पेयजल की सुविधाः- चापाकल- 03

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- .....

बाधा रहित पहुँचः-

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- उपलब्ध है

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या–PSR– 31/2013-14 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय–समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

विश्वासभाजन

20/5/2014

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
सह सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा

Mukul 20/5/14

Received by Pramod Kumar 20.5.2014

प्रपत्र–2

(33)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक...1621... दिनांक...21/07/14...

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक, प्रभास संस्थान, मधेपुरा

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक...28.02.14...और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय ...प्रभास संस्थान. वार्ड नं0-02, मधेपुरा...

(विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा ...01.. से ...08.. तक संचालन हेतु तीन वर्षो ...July-2014... से ...March-2015... की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगीः

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :–

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः- 7728 Sq. ft.

कुल निर्मित क्षेत्रः- 4228 Sq. ft.

खेल के मैदानों का क्षेत्रः- 3500 Sq. ft

वर्गकक्षों की कुल संख्याः- 10

प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- है

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-02, बालिका-02

पेयजल की सुविधाः- चापाकल- 02

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- नहीं

बाधा रहित पहुँचः- है

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- है

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या-PSR- 42/2014-15 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

एक प्रति पाया
for, Sunil Kumar
21/8/14
प्रधान संरक्षक सचिव
विद्यालय, मधेपुरा

विश्वासभाजन
16/8/14
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
-सह- सचिव
प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

प्रपत्र–2

**जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,**
**प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान**
**मधेपुरा।**

पत्रांक...3403... दिनांक...27/12/14...

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

मॉडर्न एकेडमी, वार्ड न०-06, जयप्रकाशनगर, मधेपुरा।

विषयः बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 12/11/2011 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय मॉडर्न एकेडमी, वार्ड न०-06, जयप्रकाश नगर, मधेपुरा (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा 01 से 08 तक संचालन हेतु तीन वर्षो दिसम्बर 2014 से मार्च 2017 की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तो के अनुपालन के अधीन होगीः–

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों की नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जयेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएगें:–
   i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।
   ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शरीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।
   iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
   iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम–22 के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
   v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चो का समावेशन किया जायेगा।
   vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा–23 की उपधारा–01 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते है, वे 5 वर्षो के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
   vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
   viii. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 के प्रावधनों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 मे उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।
    विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलबध सुविधाओं का विवरण निम्नवत:
    विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल:– 6500 वर्ग फीट
    कुल निर्मित क्षेत्र:–....660 वर्ग फीट
    खेल के मैदानों का क्षेत्र:–....हाँ है।....
    वर्गकक्षों की कुल संख्या:–....06....
    प्रधानाध्यापक –सह– कार्यालय –सह– भंडार कक्षा:–....01....
    बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शैचालय:– बालक ...01...बालिका...02...
    पेयजल की सुविधा :– चापाकल ....01....
    मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर :–....नहीं....
    बाधा रहित पहुँच:–....हाँ....
    शिक्षा अधिगम सामग्री/खेल–कूद उपकरण/पुस्तकालय: –....उपलब्ध
11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860, (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एंव उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड सं0–PSR.78/2014-15 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय–समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तो के लगातार रूप से करने की सूनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबधित कठिनाइयो कों दूर करने हेतू समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नंक III के रूप में संलग्न अन्य शर्ते।

17/12/14

विश्वासभाजन

17/12/14

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
–सह– सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

Jhanshu Kr. Sharma

प्रपत्र–2

(8)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक..257.. दिनांक..06/02/14

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक, साउथ कोइन्द पब्लिक स्कूल, मधेपुरा

विषय :– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक..30/9/11...और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय ..साउथ कोइन्द पब्लिक स्कूल, मेन रोड, मधेपुरा..
(विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा ..01.. से ..08.. तक संचालन हेतु तीन वर्ष ..अप्रैल 2014 ..... से ..मार्च 2017... की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगी:

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :–

Hulas
3/2/14

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः-

कुल निर्मित क्षेत्रः- —

खेल के मैदानों का क्षेत्रः- .....—.....

वर्गकक्षों की कुल संख्याः- .....23.....

प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- .....—.....

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-.....02....., बालिका-.....02.....

पेयजल की सुविधाः- चापाकल- .....02.....

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- .....—.....

बाधा रहित पहुँचः- —

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- .....उपलब्ध है।.....

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

Hulas
3/2/14

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या–PSR– 22/2813-14. है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय–समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

HuLuD
3/2/14

विश्वासभाजन

3/2/2014

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
–सह– सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

(4)

प्रपत्र–2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक...259...  दिनांक...06/02/14

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक जितेन्द्र पब्लिक स्कूल, मधेपुरा

विषय :– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक...30/9/11...और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय ...जितेन्द्र पब्लिक स्कूल... ...शास्त्रीनगर, वार्ड नं0–19 मधेपुरा...

(विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा ...01... से ...08... तक संचालन हेतु तीन वर्ष ...अप्रील 2014 ..... से ...मार्च 2017..... की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तों के अनुपालन के अधीन होगी:

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :–

6/2/14

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः- 5800 वर्ग फीट

कुल निर्मित क्षेत्रः- —

खेल के मैदानों का क्षेत्रः- .....—.....

वर्गकक्षों की कुल संख्याः- .....14.....

प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- .....01.....

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-..02.., बालिका-..01.....

पेयजल की सुविधाः- चापाकल- .....02.....

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- .....—.....

बाधा रहित पहुँचः- —

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- .....है.....

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

Hulud
3/2/14

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या–PSR–18 28/3/14 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय–समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

विश्वासभाजन

31/3/14

31/3/14

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
–सह– सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

प्रपत्र–2

(2)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

पत्रांक...714.... दिनांक...31/03/14

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक सरदार पटेल विद्या मंदिर

विषय :– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/ महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 29/03/14 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय सरदार पटेल विद्या मंदिर, बाराहटी

(विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा 01 से 08 तक संचालन हेतु तीन वर्षो अप्रैल-2014 ..... से मार्च-2015 की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगीः

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रांरिम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
04. कंडिका–03 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
05. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगें :–

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः-

कुल निर्मित क्षेत्रः-

खेल के मैदानों का क्षेत्रः- .....

वर्गकक्षों की कुल संख्याः- .....09.....

प्रधानाध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्षाः- .....

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयः- बालक-.....01....., बालिका-.....01.....

पेयजल की सुविधाः- चापाकल- .....01.....

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घरः- .....

बाधा रहित पहुँचः-

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालयः- .....

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या-PSR- 28/2013-14 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्त्तो के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्नक III के रुप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

विश्वासभाजन

Hulad 9/3/14

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
-सह- सचिव
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
मधेपुरा